न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, डीडवाना
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

आवेदकः–

श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्तः–

1. लीलाधर प्रजापत पुत्र गणपतराम जाति प्रजापत (विक्रेता व मालिक)
   निवासी–प्रजापतों का मौहल्ला, दौलतपुरा तह.डीडवाना जिला नागौर।
   फर्मः–श्रीबालाजी इण्डस्ट्रीज दौलतपुरा तह. डीडवान जिला नागौर।

प्रकरण संख्याः–45/2021

'' अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम'

उपस्थितिः–

1. प्रतिवादी लीलाधर प्रजापत पुत्र गणपतराम।
2. श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी,नागौर।

–:निर्णय :–

दिनांकः–12.03.2022

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.02.2021 को समय 04:05 पी.एम. पर फर्म मैसर्स श्रीबालाजी इण्डस्ट्रीज दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर में पॅहुचा। वहां पर विक्रेता मालिक के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति लीलाधर प्रजापत पुत्र गणपतराम जाति प्रजापत उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते खाद्य तेल आदि पदार्थ रखे पाये। विक्रेता से पूछने पर उक्त संस्थान स्वंय का होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जिसकी छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(2)आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक व गवाहों की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर सरसों का तेल (कोहिनूर) कच्ची घाणी के 500–500 ml वाली 25 बोतल आम जनता को विक्रय वास्ते रखे हुए थे। जिन पर फार्म नं.–5ए पर दर्शायेनुसार जानकारी अंकित थी। मुझे इनमें मिसब्राण्ड,सबस्टैण्र्ड व अनसेफ का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

अधिनियम, 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना विक्रेता को रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि ये सरसों का तेल (कोहिनूर) कच्ची घाणी का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। मौके पर गवाहों की उपस्थिति में फार्म 5–ए की मूल प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर गवाहों एवं विक्रेता की उपस्थिति में उपरोक्त वर्णित खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (कोहिनूर) कच्ची घाणी के 4 बोतल मूल ही सील्ड अवस्था में नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को उनके बताये अनुसार 320/–रू (अक्षरे तीन सौ बीस रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(3) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा चारों बोतलों के लिए विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार कर लेबल पर श्रीमान डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर का कोड एवं सीरीयल न0, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीदशुदा खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (कोहिनूर) कच्ची घाणी के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q–1507 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता लीलाधर प्रजापत एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई। फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है।

फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना (नागौर)

चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर स्वयं ने खाद्य विश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को अगले कार्य दिवस को देकर फार्म नं. 6 की अग्र भाग पर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंग्न है, शेष सीलबन्द (दितीय व तृतीय भाग) नमूना पैकेट मय फार्म नं. 6 की दो प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को अगले कार्य दिवस को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंग्न है। शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की एक प्रति को आउटर कवर में सीलबंद सीलमोहर कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को अगले कार्य दिवस में जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(4)आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को श्रीमान डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक 326–27 दिनांक 19.03.2021 के द्वारा सलंग्न खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (कोहिनूर) कच्ची घाणी की जांच रिपोर्ट संख्या LS/80/Act/2021/52 दिनांक 26.02.2021 प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता लीलाधर प्रजापत से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (कोहिनूर) कच्ची घाणी का नमूना Q–1507 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के तहत मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त नमूने की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट की एक प्रति फर्म–श्रीबालाजी इण्डस्ट्रीज दौलतपुरा तह. डीडवाना जिला नागौर के मालिक एवं विक्रेता को अधिनियम की धारा 46(4) के तहत अपील करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से पत्रांक 326–27 दिनांक 19.03.2021 को प्रेषित किया। अगेषण पत्र मय रजिस्ट्री की मूल रसीद तथा जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति.जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

(5)प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 22.02.2022 को प्रतिवादी लीलाधर प्रजापत ने उपस्थित होकर लिखित स्टेटमेन्ट/जवाब प्रस्तुत किया प्रतिवादी लीलाधर प्रजापत की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि अप्रार्थी की फैक्टरी श्री बालाजी इण्डस्ट्रीज दौलतपुरा तहसील डीडवाना में है जिसकी जांच हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19.02.2021 को सैम्पल लिये गये जो सैम्पल बिना मिलावट के पाये गये मगर अप्रार्थी द्वारा जो लेबल काम में लिये वो खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा complete ''Address not given on the label of Sample''.की रिमार्क की है। अप्रार्थी ने जानबूझकर ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कानून की अवहेलना हो फिर भी अप्रार्थी ने समस्त पुराने लेबल नष्ट्र कर दिये है। सेम्पल कानून के अनुसार पूर्ण Addres में छपवाने को दे दिये है।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं करेगा व कानून की पूर्ण पालना करेगा।

(6)प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को सुना गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(7)प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 19.02.2021 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समय 04:05 पी.एम. पर फर्म:–श्रीबालाजी इण्डस्ट्रीज दौलतपुरा तह. डीडवाना जिला नागौर में पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति लीलाधर प्रजापत पुत्र गणपतराम उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते खांद्य तेल, आदि पदार्थ रखे पाये। विक्रेता मालिक से पूछने पर उक्त संस्थान स्वंय का होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया जिसकी छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति से संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर सरसों का तेल (कोहिनूर) कच्ची घाणी के 500–500 ml वाले 25 बोतल आमजन को विक्रय वास्ते रखे हुए थे इनमें सबस्टेण्डर्ड, मिसब्राण्डेड व अनसेफ का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह सरसों का तेल (कोहिनूर) कच्ची घाणी का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में उक्त खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (कोहिनूर) कच्ची घाणी के 4 बोतल मूल ही सिल्ड पैक अवस्था में नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू. 320/–(अक्षरे तीन सौ बीस रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0 दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (कोहिनूर) कच्ची घाणी के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q–1507 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता लीलाधर प्रजापत एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म न.5ए, खाद्य पदार्थ का विक्रय बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्मः– श्रीबालाजी इण्डस्ट्रीज दौलतपुरा तह. डीडवाना जिला नागौर से खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (कोहिनूर) कच्ची घाणी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गयी है। तत्पश्चात कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अगले कार्य दिवस को एक नमूना पैकेट मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को अगले कार्य दिवस को देकर रसीद प्राप्त की शेष सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर ने अगले कार्य दिवस को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है।

पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के FORM-B रिपोर्ट नं. L.S/80/Act/2021/52 दिनांक 26.02.2021 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया हैः–

Opinion- The Sample of Mustard Oil (Kohinoor brand) bearing Code No. and Sr. No. Q-1507 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Nagaur is **Misbranded** under section 3(1)(zf) (C) (i) of Food Safety and Standards Act-2006

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर से खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (कोहिनूर) कच्ची घाणी की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता लीलाधर प्रजापत से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (कोहिनूर) कच्ची घाणी का नमूना Q–1507 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य है। खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिसब्राण्डेड है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) इस प्रकार है:–

धारा 26:– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्व:–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का:–

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक है या उसमें बाह्य पदार्थ मिले है।

धारा 52:– मिथ्या छाप वाले खाद्य के लिए शास्ति।

कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य पदार्थ का मानव उपभोग के लिए विक्रय हेतु विनिर्माण या भंडारण या विक्रय या वितरण या आयात करता है जो मिथ्या छाप का है, शास्ति का, जो तीन लाख रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

(8)पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक:चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2021/326–27 दिनांक 19.03.2021 से श्रीबालाजी इण्डस्ट्रीज दौलतपुरा डीडवाना को उक्त जांच रिपोर्ट संख्या LS/80/Act/2021/52 दिनांक 26.02.2021 को प्रति प्रेषित की गई है किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। उक्त खाद्य पदार्थ जांच रिपोर्ट के अनुसार मिसब्राण्डेड है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii)) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। इस प्रकार मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु फर्म–श्रीबालाजी इण्डस्ट्रीज,दौलतपुरा डीडवाना दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा–(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत प्रतिवादी लीलाधर प्रजापत

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

पुत्र श्री गणपतराम निवासी–प्रजापतों का मौहल्ला, दौलतपुरा तह. डीडवाना जिला नागौर, फर्म:–श्रीबालाजी इण्डस्ट्रीज दौलतपुरा तह. डीडवाना जिला नागौर पर राशि रुपये 25000/–(अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

(9)आदेश दिनांक 12.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना